फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत– उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1: रतनसिंह पुत्र दूदसिह जाति रावत, निवासी खरनी खेड़ा, तह0 सोजत, जिला पाली, राजस्थान।	1.	मालसिह पुत्र दूदसिंह के का0मु0
	1/1.	कबीरसिंह पुत्र मालसिंह
	1/2.	पूनमसिंह पुत्र मालसिंह
	1/3	लक्ष्मणसिंह पुत्र मालसिंह के का0मु0
	1/3/	कमला पत्नि लक्ष्मणसिंह
	1	सुशीला पुत्री लक्ष्मणसिंह
	1/3/	राधा देवी पुत्री मालसिह
	2	मीठूसिंह पुत्र अखेसिंह
	1/4	भंवरी बेवा अखेसिंह
	2	पदमसिंह पुत्र मालसिंह
	3	खुमसिंह पुत्र मालसिंह
	4	प्रेमदेवी पत्नि मालसिंह
	5	जसोदा देवी पुत्री मालसिंह
	6	गोविन्दसिंह पुत्र बुधसिंह
	7	खुमसिंह पुत्र भूरसिंह के का0मु0
	8	बहादुर सिंह पुत्र खुमसिंह
	9	मनोहरसिंह पुत्र खुमसिंह
	9/1	मोतीसिंह
	9/2	पूनमसिह
	10	मगेसिंह
	11	बाबूसिंह पि0 भूरसिंह जातिगण रावत,
	12	निवासीगण
	13	खरनी खेड़ा, तह0 सोजत पाली।
	14	तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

किस्म मुकदमा:– राजस्व विविध प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी मु0न0 79/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
12.10.2020	तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत उपस्थित। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 152 सीपीसी के तहत के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व	

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार, सोजत से बाद जॉच तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। तहसीलदार, सोजत द्वारा दिनांक 17.09.2020 मय पटवारी हल्का खोड़िया द्वारा रिपोर्ट बाबत् संशोधित डिक्री प्रस्तुत हुई, सा0 मि0 किया गया।

प्रति0 सं0 14 तहसीलदार, सोजत (लैण्ड होल्डर) ने दिनांक 17.09.2020 को प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी संशोधित करने निर्णय एवं डिक्री इस आशय का पेश किया कि उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.09.2014 को प्राथमिक डिक्री जारी कर सरहद मौजा खरनी खेडा तहसील सोजत के ख0न0 361, 362, 365, 366, 453, 454, 468 व 469 कुल किता 08 कुल रकबा 1.3800 हैक्टर भूमि का राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारान के मध्य मौका रेकर्ड कब्जा हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर पृथक–पृथक ख0न0 एवं लगान का निर्धारण करने के आदेश पारित किए गये। जिसकी पालना में प्रतिवादी द्वारा पत्रांक/राजस्व/15/141 दिनांक 29.01.2015 के जरिए उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा माफिक सहमति अनुसार दिनांक 22.05.2015 को प्रकरण में निर्णय एवं अन्तिम डिक्री पर्चा जारी कर पालना करने के आदेश पारित किये गये। उक्त निर्णय एवं अन्तिम डिक्री में दो खातों का नवीन विभाजन हुआ, जिसमें क0स0 1 में रतनसिंह पुत्र दूदसिंह तथा दूसरा खाता क0सं0 2 पर पूनमसिंह कबीरसिंह वगैरह निर्धारित किया गया। माफिक निर्णय उक्त भूमि में से वादी रतनसिंह के हिस्से में ख0न0 468 रकबा 0.1500 हैक्टर, ख0न0 454 रकबा 0.1600 हैक्टर, ख0न0 453/1 रकबा 0.0300 हैक्टर वादी के हिस्से में रहा तथा शेष क0सं0 2 में वर्णित खाता में पूनमसिंह कबीरसिंह लक्ष्मणसिंह पि0 मालसिंह राधा पुत्री मालसिंह का 1/4 हिस्सा व शेष खातेदार मीठूसिंह वगैरह का 1/2 हिस्सा दर्ज कर निर्धारित किया, निर्णय एवं डिक्री में उल्लेखित हैं। उक्त प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री की पालना में वादी रतनसिंह द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत राजस्व ईजराय प्रस्तुत की, जिसकी पालना के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त होने पर पालना हेतु सम्बन्धित पटवारी हल्का को प्रेषित किया गया। पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त निर्णय व डिक्री में वादी का हिस्सा माफिक रकबा अनुसार सही दर्ज व निर्धारित है। लेकिन उक्त भूमि ख0न0 361, 362, 365, 366, 453, 469 में प्रतिवादी पूनमसिंह कबीरसिंह लक्ष्मणसिंह पि0 मालसिंह

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

राधा देवी पुत्री मालसिह के 1/4 के स्थान पर 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए। इसी प्रकार शेष खातेदारान मीठूसिह वगैरह का 1/2 हिस्सा के स्थान पर 2/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। जो कि पूर्व में त्रुटिवश दर्ज नही हो सका। चूंकि पूर्व में जो उक्त प्रतिवादीगण के हिस्से में जो निर्णय एवं डिक्री में वर्णित है, उसे उक्त खातेदारान के हिस्सो का योगांक मेल नही हो रहा है, जिससे अमल दरामद में कठिनाई हो रही है। जिसे उक्त निर्णय व डिक्री को संशोधित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादी खूमसिंह पि0 मालसिंह एवं प्रेमदेवी पत्नि मालसिंह के फौत होने से मीठूसिंह पुत्र अखेसिह, भंवरी पत्नि अखेसिह पदमसिंह पुत्र मालसिह, जसौदा पुत्री मालसिंह, बहादुरसिंह पुत्र खीमसिह मनोहरसिंह पुत्र खीमसिह मोतीसिंह पुत्र पूनमसिंह मगेसिह बाबूसिंह पि0 भूरसिंह दर्ज हुआ है। उक्त निर्णय व डिक्री में माफिक प्रा0 पत्र में वर्णित संशोधन से किसी खातेदारान के हक हिस्से पर कोई विपरित प्रभाव पड़ेगा। जिससे प्रा0 पत्र धारा 152 सीपीसी का पेश कर उक्त प्रा0 पत्र स्वीकार किये जाने तथा तदानुसार निर्णय एवं डिक्री में संशोधन करने के आदेश पारित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। प्रा0 पत्र धारा 152 सीपीसी में वर्णित तथ्यों तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2015 के परिप्रेक्ष्य में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 17.09.2020 प्राप्त की जाकर सा0मि0 की गई। पटवारी हल्का खोडिया तथा तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्टानुसार उक्त निर्णय व डिक्री अनुसार 2 खातों का नवीन विभाजन हुआ, जिसमें एक खाता रतनसिंह पुत्र दूदसिंह कौम रावत एवं दूसरा खाता पूनमसिंह वगैरह के नाम से नवीन खातों का निर्धारण हुआ। दो नम्बर खाते में हिस्सा क्रमशः 1/4 एवं 1/2 दर्ज किया गया जिसके कारण हिस्सों का योगांक 01 नहीं हो रहा है। इससे निर्णय व डिक्री उक्त के के अमल दरामद करने में कठिनाई हो रही है। प्रतिवादी खूमसिंह पुत्र मालसिह एवं प्रेमदेवी पत्नि मालसिंह के फौत होने से मीठूसिंह पुत्र अखेसिंह, भॅवरी पत्नि अखेसिंह, पदमसिंह पुत्र मालसिंह, जसोदा पुत्री मालसिंह बहादुरसिंह पुत्र खीमसिंह मनोहरसिंह पुत्र खीमसिंह, मोतीसिंह पूनमसिंह मगेसिंह बाबूसिंह पि0 भूरसिंह लक्ष्मणसिंह पुत्र मालसिंह फौत के का0मु0 कमला पत्नि लक्ष्मणसिंह तथा सुशीला पुत्री लक्ष्मणसिंह दर्ज हुआ हैं। तदानुसार संशोधित डिक्री दुरूस्त सुदा जारी किये जाने की अभिशंषा उक्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट में की गई है।जमाबंदी सम्वत् 2074—77 के रेकर्ड अनुसार दिगर अप्रार्थीगण को पक्षकारान बनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

बहस प्रा0 पत्र धारा 152 सीपीसी तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत एवं वकुलाय सुनी गई। प्रस्तुत राजस्व ईजराय, संलग्न निर्णय व डिक्री तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 152 सीपीसी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2074–77 एवं तहसीलदार, सोजत तथा पटवारी हल्का खोड़िया द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रतिपक्षी तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 152 सीपीसी का माफिक तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 17.09.2020 तथा 12.10.2020 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तदानुसार संशोधन करके संशोधित डिक्री पर्चा मूर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते हे। उक्त निर्णय एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट मय संशोधित डिक्री पर्चा को निर्णय का एक भाग माना जाता है। जिनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भिजवाई जाकर पालना मंगवाई जावें। संशोधित डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपि राजस्व ईजराय एवं मूलवाद संख्या 82/2010 में संलग्न की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 12.10.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner